

आर्टि महत्वपूर्ण/ सर्वोच्च प्राधिकारा
संख्या: 434 / अड्डोीस-5-2017-21ए/2011

47-14/V3 112/CC-3

25.7

प्रेषक,

राहुल भट्टनागर
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुसार-5

विषय:- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-|| हैण्डपम्पों की रिबोरिंग एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

ग्राम पंचायतों को इण्डिया मार्क-|| हैण्डपम्पों एवं पाइप पेयजल योजनाओं के रखरखाव एवं परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास अनुसार-5 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या- 1134/38-5-11-56 सम/2010, दिनांक 29 जून, 2011 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2— उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 29 जून, 2011 के बिन्दु-VIII में अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-|| हैण्डपम्पों के रिबोरिंग का कार्य सम्बन्धित कार्यदाती संस्थाओं (उत्तर प्रदेश जल निगम/यू०पी० स्टेट एग्रो लिं.) द्वारा उनको आवश्यित विकास क्षेत्रों में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा शास्त्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की धनराशि से कराये जाने की व्यवस्था निर्धारित है।

3— इस सम्बन्ध में सम्यक विवारोपशन ग्राम्य विकास अनुसार-5 के उपर्युक्त शासनादेश संख्या- 1134/38-5-11-56 सम/2010, दिनांक 29 जून, 2011 के बिन्दु- VIII को संशोधित करते हुए नुस्खे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-|| हैण्डपम्पों के रिबोरिंग का कार्य 14वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के माध्यम से ग्राम पंचायतों को प्राप्त घनराशि से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जायेगा। सम्बन्धित ग्राम पंचायतों हैण्डपम्पों के रिबोरिंग का कार्य स्वयं करा सकती हैं अथवा सम्बन्धित कार्यदाती संस्थाओं (उत्तर प्रदेश जल निगम/ यू०पी० स्टेट एग्रो लिं.) के माध्यम से करा सकती है। दोनों ही विकल्पों के अनुसार रिबोर कराये गये हैण्डपम्पों में गुणवत्ता अपर्याप्त सुनिश्चित की जायगी। उक्त शासनादेश दिनांक 29 जून, 2011 के अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे।

4— कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

महोदय,
R.Kumar
(राहुल भट्टनागर)
मुख्य सचिव।

संख्या- 434 (1)/अड्डोीस-5-2017, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, माझे ग्राम्य विकास / माझे पंचायती राज मंडी, उ०प्रो को सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्रो शासन को उपर्युक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग के स्तर पर अपेक्षित अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. आगुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, जयाहर भदन, लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
5. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, जयाहर भदन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम/ प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० स्टेट एग्रो लिं. लखनऊ।
7. समस्त जिला विकास अधिकारी/ समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाइल।

आड़ा से,

DK
(दीपक/त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव।